

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-अटल सेवा केन्द्र सड़ा

प्रकरण सं:-172/17

क्रमांक:-लो.अदा./2017/

381

दिनांक:-27.6.17

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सड़ा व मू.अ.नि.सड़ा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम नारायणपुर पटवार क्षेत्र सड़ा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2070-2073 में खाता संख्या 41 में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	नारायणपुर तहसील सिणधरी	41	147	विशनाराम पुत्र ईशराराम	वेहनाराम पुत्र ईशराराम शेष बदुस्तर

जि.स.
27/6/17

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:-27.6.17

क्रमांक:-लो.अदा./2017/
प्रतिलिपि:-

382-84

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी वेहनाराम पुत्र ईशराराम जाति जाट निवासी नारायणपुर तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

जि.स.
27/6/17

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी